Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.03, October, 2023
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

Knowledgeable Research
ISSN 2583-6633
Vol.02, No.03, October,2023
http://knowledgeableresearch.com/

भारत में पंथनिरपेक्षता का स्वरूप: एक अवलोकन"

विजय सिंह एवं मृदुल शुक्ला
सहायक आचार्य, स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय, शाहजहाँपुर

****

सार:

भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास मौर्य और गुप्त काल से चला आ रहा है, धर्मनिरपेक्षता सम्राट अशोक के धम्म में निहित थी। रामराज्य के दौरान सभी धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और आचरण करने के लिए स्वतंत्र थे। गुप्त काल के दौरान शैव, बौद्ध और जैन धर्म को पूर्ण रूप से विकसित होने दिया गया। पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम अल्बरूनी ने प्रारंभिक मुस्लिम काल के दौरान भारत में सामाजिक सहिष्णुता में गिरावट देखी। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय के लिए धर्म को राजनीति से अलग कर एक नये धर्म की स्थापना की। कश्मीर के अकबर ज़ैनुल आबेदीन ने जजिया कर को समाप्त करके और हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करके धार्मिक सहिष्णुता लागू की। मुगल काल में सम्राट अकबर ने भक्ति और सूफी संतों से प्रभावित होकर अपनी धार्मिक नीति के माध्यम से सभी धर्मों और संप्रदायों के बीच एकता और समन्वय स्थापित करने का काम किया। उनके राजनीतिक और धार्मिक परिणाम धर्म और जाति के भेदभाव के बिना ईश्वर की सच्ची पूजा के रूप में प्रज्ञा के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण थे।

संकेत शब्द : *धर्मनिरपेक्षता, गुप्त काल, धार्मिक सहिष्णुता, भारत*

****

भारत संवैधानिक रूप से पंथनिरपेक्ष राज्य है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है लेकिन इससे पूर्व ही हमारा संविधान पंथनिरपेक्षता को पूरी तरह अपने में समाहित किये हुआ था। संविधान में पंथनिरपेक्षता के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है संविधान के अनुसार भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। भले ही भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा लेकिन अपने नागरिकों को यह महत्वपूर्ण अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, और अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं तथा अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। भारत में सरकारों का चरित्र पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होगा। वे प्रत्येक धर्म के साथ समान व्यवहार करेगी। अतः पक्षपातहीन धार्मिक सम्मान का व्यवहार ही पंथनिरपेक्षता का वास्तविक चरित्र है। संविधान भारत के नागरिकों से यह अपेक्षा भी करता है कि वे पंथनिरपेक्षता की भावना के साथ अपने धर्म के समान ही अन्य धर्मों का आदर करेगे तथा किसी भी प्रकार का धार्मिक टकराव पैदा नहीं करेंगे।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत पंथनिरपेक्षता के जिस स्वरूप का हम अवलोकन करते हैं वह हमारी प्राचीन विधि व्यवस्था एवं भारतीय संस्कृति में पूर्व से ही विद्यमान थी अर्थात् पंथनिरपेक्षता का यह स्वरूप प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों, उपनिषदों एवं पुराणों आदि में विद्यमान है। हिन्दू विधि शास्त्र के अनुसार विधि का सम्बन्ध धर्म एवं दर्शन से अत्यन्त घनिष्ट है। प्राचीन काल का सामाजिक ढाँचा धर्म, आचार एवं दर्शन पर आधारित था। हिन्दू विधि शास्त्रिओं ने विधि की व्याख्या, समाज, धर्म एवं दर्शन के संदर्भ में की है। विधि अर्थात् धर्म एक दूसरे के पूरक

Received Date: 09.10.2023
Publication Date: 30.10.2023

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.03, October, 2023
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

थे तथा विधि या धर्म सर्वापरि था। विधि शास्त्रियों के अनुसार अधिराज या राजा शासन नहीं करता था बल्कि विधि शासन करती थी। समस्त सृष्टि विधि के अधीन है- 'धर्माविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा।

धर्म का तात्पर्य धारण करने के योग्य से है जो गुण अथवा वस्तु अथवा कार्य धारण करने योग्य होता है। उसे धर्म की कोटि में रखा जाता है। धर्म से तात्पर्य वेदों में पारंगत उन गुणवान व्यक्तियों तथा विद्वानों के द्वारा मान्य नियम धर्म है जो घृणा, स्पृहा आदि अवगुणों से रहित है। मनुस्मृति के अनुसार, ''वेद, स्मृति, सदाचार एवं जो अपने का प्रिय हो यह धर्म के साक्षात चार लक्षण है।'' धर्म के अन्तर्गत मनुष्य के सभी धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं विधि नियम सम्मिलित हैं।

प्राचीन हिन्दू विधि व्यवस्था में मनुस्मृति के इस स्लोक के अनुसार ''जो अपने को प्रिय हो'' धार्मिक विश्वास जो व्यक्ति की आस्था के अनुसर हो वह व्यक्ति उसका पालन कर सकता था तथा अपने विश्वासों का प्रचार प्रसार कर सकता था। अन्तःकरण जब तक वह दूसरे के विश्वास पर ठेस न पहुचाने वाला न हो निर्वन्धित नहीं था। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में सदाशयता, सदभावना और सहिष्णुता निरन्तर रही है। यही विशिष्टता प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की प्रधान प्रेरणा रही है। व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना समाज के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना हिन्दू सामाजिक दर्शन का मुख्य प्रेरक तत्व रहा है। प्राचीन काल में जितने भी अन्य धर्माे ं के लोग भारत में आये उन सबके साथ भारतीयों ने अपनी संस्कृति के अनुरूप सद्भावना और सदाशयता का परिचय दिया क्योंकि भारतीय संस्कृति अतिथि देवा भवः को अपनाती है। इसलिए अन्य धर्म के लोगों के साथ भी समान व्यवहार सुनिश्चित किया गया था।

वस्तुतः भारतीय सामाजिक आदर्श का आधार धर्म था जो न दूसरों को आघात पहुँचता था ओर न किसी का विरोध करता था। सद्भावना एवं सहिष्णुता प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श था। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म एवं समुदाय का प्राणी क्यों न रहा हो, भारतीय आदर्श यह था कि सभी जीवों में ईश्वर का वास रहता है इसलिए सदाशयता एवं सहिष्णुता का आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य था। सदभावना ही प्रधान थी। मन, वचन और कर्म से प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कष्ट न देना तथा सभी के साथ यथार्थ एवं प्रिय संभाषण करना, कर्मा में कर्तापन का अभिमान का त्याग करना तथा अन्तःकरण की उपरामता का अभाव, किसी की निन्दा करना, सभी प्राणियों के प्रति दया दर्शित करना, कोमलता तथा लोक शास्त्र के विरुद्ध आचरण न करना मनुष्य की सदभावना के अन्तर्गत आने वाले व्यवहार थे।

अंहिसा सत्यम् क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।

दया भूतेश्वलोलुप्त्वं मार्दवः दीच्चापलम्।।

तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के भाव का अभिमान न होना श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है।

तेज, क्षमा घृतिः शोचमद्रोहोनातिमानिता।

भवन्ति सम्पदः दैवीमभिजातस्य भारत।।

श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 16 श्लोक 1 एवं 2 में पंथनिरपेक्षता की इस भावना को पूरी तरह प्राचीन हिन्दू विधि शास्त्रियों के अनुसार हिन्दू धर्म को सनातन धर्म कहा गया है वेदों में इसे शाश्वत मूल्य कहा गया है। महाभारत के कर्णपर्व में कहा गया है कि ''धर्म समाज के स्थापित्व, सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने, सर्वसाधारण के कल्याण के लिए एवं मानव को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए है। धर्म सर्वाेच्च है

Received Date: 09.10.2023
Publication Date: 30.10.2023

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.03, October, 2023
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

आधुनिक अवधारणा में धर्म की सर्वा ेच्चता का अर्थ विधि शासन कहा गया है। इसी प्रकार महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में कहा गया है कि समाज धर्म से ही बच सकता है जिसे विधि शासन कहा जाता है।

श्रीरामचरित मानस के उत्तरकाण्ड गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य के दौरान पंथनिरपेक्षता के स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया है-

बरनाश्रम निज-निज धरम निरत वेद पाथ लोग।

चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग।।

सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।''

चारिउ चरन धर्म जग माही। पूरि रहा सपनेऊ अध नाही।

सव निर्दभ धर्मरत पुनी। नर अऊ नारि चतुर सब गुनी।।

गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड के अनुसार रामराज्य के दौरान प्रत्येक वर्ण एवं प्रत्येक धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के अपने-अपने धर्म का पालन एवं आचरण करने के लिए स्वतंत्र थे तथा अपने धर्म का पालन एक दूसरे व्यक्तियों के धर्म का सम्मान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति परस्पर प्रेम पूर्वक करता था। धर्म के पालन और आचरण करने में किसी भी प्रकार का अयुक्तियुक्त निर्वन्धन नहीं था।

मौर्यकाल से पंथनिरपेक्षता का स्वरूप सम्राट अशोक के 'धम्म' में निहित है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का रूपान्तर है। सम्राट अशोक ने अपने पहले, बारहवें एवं सातवें स्तम्भ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है- धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता है और आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना जीव हिंसा न करना, माता-पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र-परिचितों, सम्बन्धिओं, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता एवं उचित व्यवहार, दासों एवं भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अन्तर्गत आते हैं। अशोक के सातवें शिलालेख में उसकी धार्मिक नीति का वर्णन किया गया है कि ''सभी सम्प्रदाय के लोग सब जगह निवास करें क्योंकि सब संयम एवं चित्त की शुद्धि चाहते हैं।''

सम्राट अशोक के बारहवें शिलालेख के अनुसार जिसमें अशोक कहता है कि, ''सभी सम्प्रदाय के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे के सम्प्रदाय की निन्दा न करें।

सम्राट अशोक के छठे स्तम्भ लेख में अशोक ने कहा है कि मैं सभी सम्प्रदाय का अनेक प्रकार से सत्कार करता हूँ और उनसे भेंट करना सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ।

गुप्त काल में भी पंथनिरपेक्षता का स्वरूप विद्यमान था। यद्यपि गुप्त सम्राटों का धर्म वैष्णव था परन्तु वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता का व्यवहार करते थे। गुप्त काल में भी शैव धम्र, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को भरपूर विकसित होने का अवसर मिला।

मुस्लिम काल के पूर्वाध में भारत में सामाजिक सहिष्णुता में गिरावट आयी जिससे समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया। जिसका अलवेरूनी ने अपनी पुस्तक किताब-उल-हिन्द में किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में भारतीय चरित्र की कमजोरियों और भारतीयों की

Received Date: 09.10.2023
Publication Date: 30.10.2023

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.03, October, 2023
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था की कमियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उसने भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीतियों, व्रत, पूजा पाठ, दान, तीर्थयात्रा एवं दैनिक यज्ञों का विशद वर्णन किया है। उसने भारतीय संस्कृति को जानने के लिए ब्रह्म सिद्धान्त, बाराहमिहिर की बृहद संहिता, कपिल के सांख्य तथा पतंजलि के योग आदि रचनाओं का उल्लेख किया। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। अलबरूनी के अनुसार इस समय धर्म का चर्तुदिक पतन प्रारम्भ हो गया था। धर्म की मूल भावना समाप्त होकर इसका स्थान कर्मकाण्डों ने ले लिया था।

अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से पृथक किया और उसने एक नए धर्म की स्थापना के साथ विश्व विजय की योजना भी बनायी। अलाउद्दीन यह समझता था कि जनता के मध्य सौहार्द एवं सहिष्णुता के बिना उसका राजत्व का सिद्धान्त सम्भव नहीं है। उसकी दृष्टि में राजत्व जनता की दृष्टि में पवित्र एवं न्याय संगत होना चाहिए। जिसे जनता वैधानिकता की दृष्टि में आत्मसात करे।

जैनुल आबिदीन जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है ने अपनी धार्मिक नीति में पंथनिरपेक्ष्ता के स्वरूप को लागू करने का कार्य किया। जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त करके तथा हिन्दू मन्दिरों का पुनः निर्माण कराकर धार्मिक सहिष्णुता को लागू किया। वह हिन्दू एवं मुसलमानों के त्योहारों में बराबरी से भाग लेता था। शासन कार्यों में उसने हिन्दुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया।

मुगलकाल में सम्राट अकबर की महानता उसकी धार्मिक नीति पर ही आधारित है। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों एवं सम्प्रदाओं में एकता एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। अकबर को धार्मिक उदारता विरासत में मिली हुई थी क्योंकि उसके पिता हुमाँऊ में भी धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता के गुण विद्यमान थे। अकबर की धार्मिक नीति को भक्ति एवं सूफी संतों ने प्रभावित किया। अकबर धर्म एवं जाति का भेदभाव किये बिना प्रज्ञा के कल्याण को ही ईश्वर की सच्ची उपासना मानता था। उसका राजनैतिक एवं धार्मिक परिणाम महत्वपूर्ण रहा वह हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आया और उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की तथा जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अपनी प्रजा को पूर्णरूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर उसने इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने की उत्सुकता व्याप्त की। इसी उद्देश्य से उसने 1575 ई. में फतेहपुर सीकरी में पूजाग्रह के निर्माण का आदेश दिया।

अकबर की धार्मिक सहिष्णुता भी नीति का मुख्य उद्देश्य सुलह-ए-कुल अर्थात् सर्वात्रिक भाईचारा के सिद्धान्त को लागू करना था। अकबर ने 1578ई. में सभी धर्मावलम्बियों के लिए इबादतखाने का द्वार खोल दियां जिसमें हिन्दू, जैन, पारसी एवं ईसाई धर्म के आचार्य भाग लेने लगे।

दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ई. में की थी। जिसका उद्देश्य सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। दीन-ए-इलाही वास्तव में सूफी एकेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। जिसकी प्रेरणा निजामुद्दीन औलिया के सुलहकुल या सामाजिक सौहार्द्र से मिली थी। इस प्रकार मुस्लिम काल में भी भारत में पंथनिरपेक्षता का स्वरूप बना रहा।

मध्यकाल में ही सूफी सन्तों ने भी दोनों धर्मों से अच्छी बातों को लेकर प्रचार किया। सिख धर्म के पांचवें गुरू अर्जुनदेव ने आदि ग्रंथ की रचना की जिसमें सिक्खों के गुरू तथा हिन्दू एवं मुसलमान सन्तों की वाणिओं को संकलित किया गया है यह ग्रंथ धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है।

आधुनिक काल में राजाराम मोहन राय ने कुरान, बाइबिल, हिन्दु एवं अन्य धार्मिक मतों के धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत-उल-मुहदीन 1809ई. में प्रकाशित हुआ जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। स्वामी विवेकानन्द 1893ई. में अमेरिका के शिकागों में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। जिसमें उन्होंने सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा था कि, ''जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं।''

Received Date: 09.10.2023
Publication Date: 30.10.2023

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.03, October, 2023
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

वर्तमान आधुनिक काल में संविधान की प्रस्तावना व उसके अनुच्छेदों के माध्यम से एक राष्ट्र के रूप में भारत ने सांस्कृतिक ही नहीं वरन् संवैधानिक रखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन इससे पूर्व ही संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के विरूद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है।

संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म स्वातंत्रय का मूल अधिकार गारण्टीकृत किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसर ''सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा धर्म को अवाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छानुसार सम्बन्धों को स्थापित करता है।

अनुच्छेद 26 के अनुसार, ''सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय का उसके किसी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार होंगे-

1. धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का।
2. अपने धार्मिक कार्या सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध करने का।
3. जंगम एवं स्थावर सम्पत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का।
4. ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का।

अनुच्छेद 27 के अनुसार, ''कोई भी किसी व्यक्ति, किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 28 यह उपबन्धित करता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी। अनुच्छेद 29 के अनुसार, ''भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार, ''धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गा को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबन्ध का अधिकार होगा। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबन्ध करता है। अनुच्छेद 44 इस धारणा पर आधारित है कि सभ्य समाज से धर्म एवं वैयक्तिक विधि में कोई सम्बन्ध नहीं है।

पंथनिरपेक्षता के स्वरूप को भारतीय न्यायालयों ने समय-समय पर स्थापित करने का कार्य किया है। जिसमें उच्चतम न्यायालय की भूमिका सराहनीय है।

यू.एस. बनाम क्लार्ड के मामले में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने पंथनिरपेक्षता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि ''मनुष्य अपने धार्मिक विश्वासों के लिए राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ईश्वर की पूजा कोई जैसे भी चाहे कर सकता है। कानून किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष पूजा पद्धति को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

Received Date: 09.10.2023
Publication Date: 30.10.2023

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.03, October, 2023
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

इसी प्रकार डाउटस बनाम विडवेल के मामेल में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पंथनिरपेक्ष राज्य में राज्य का सम्बन्ध मानव में आपसी संबंधों से रहता है। मनुष्य एवं ईश्वर के बीच सम्बन्ध में राज्य को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह व्यक्ति के अन्तःकरण से सम्बन्धित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा किसी भी अंग से ईश्वर की पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज बनाम गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि, ''संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द का समाविष्ट किया गया है जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भारत प्राचीन काल से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ सभी धर्मावलम्बियों के साथ समान व्यवहार किया जाता रहा है। राज्य भारत में धर्म के मामलों में पूर्णतः तटस्थ है। राज्य के पंथनिरपेक्ष स्वरूप में कोई रहस्यवाद नहीं है। धर्मनिरपेक्षता न ईश्वर विरोधी है न ईश्वर समर्थक है, यह भक्त संशयवादी, नास्तिक सभी को समान मानती है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि, ''पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल भूत ढांचा है। राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात है उसे लौकिक क्रियाओं से नहीं जोड़ा जा सकता है। पंथनिरपेक्षता का स्वरूप सकारात्मक है। राज्य न किसी धर्म का पक्ष लेता है और न ही किसी धर्म का विरोध करता है। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।

कमिश्नर हिन्दू रेलिजस एण्डा उमेण्टस एवं मद्रास बनाम श्री एल.टी. स्वामियार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तात्यपग्र पूर्ण आन्तरिक स्वतंत्रता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को किसी भी रूप से व्यवहारिक रूप से दे सकता है।

अरूण राय बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, ''लोकतन्त्र जीवित नहीं रह सकेगा और संविधान कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक भारतीय नागरिक न केवल शिक्षित और बुद्धिमान होंगे बल्कि वे नैतिक चरित्र से युक्त तथा मानव जीवन के निहित गुणों को जैसे सत्य, प्रेम और दया को आत्मसात नहीं करेंगे।

एथीस्ट सोसाइटी ऑफ इण्डिया बनाम गर्वनमेण्ट ऑफ ए.पी. के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, ''धर्म निरपेक्षता एक आदर्श एवं एक प्रक्रिया है जिसमें अलगाव की अपेक्षा मिलाने, प्रमुख की अपेक्षा बहुत्ववाद की भावना निहित है, धर्म निरपेक्षता न केवल धर्म और अन्तरात्मा और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार की गारण्टी है बल्कि सभी नागरिकों में भ्रातृत्व एवं एकता की मूल भावना है। धर्मनिरपेक्षता एक लक्ष्य एवं प्रक्रिया है। यह राष्ट्रीयता और भाषा की राष्ट्रीय अखण्डता और साम्प्रदायिक सामंजस्य का एक मिश्रण है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिसमें, प्राचीन वैदिक ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रीमदभगवद्गीता, श्रीरामचरितमानस तथा उसके पश्चात् मौर्यकाल, गुप्तकाल आदि से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर, मुस्लिम काल में विभिन्न लेखकों की पुस्तकों के आधार पर तथा ब्रिटिशकालीन विधियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत पंथनिरपेक्षता का यह स्वरूप स्वीकार किया गया है वह हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता, सामाजिक व्यवहार एवं भारतीय संस्कृति में पूर्णता समाहित थी। भारतीय संविधान के अन्तर्गत पंथनिरपेक्षता के इस स्वरूप को न्यायालयों ने समय-समय पर स्थापित करने का कार्य किया है।

Received Date: 09.10.2023
Publication Date: 30.10.2023

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.03, October, 2023
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, डॉ. जयशंकर मिश्र।
2. प्राचीन भारत, डॉ. एस.के. पाण्डेय।
3. मध्यकालीन भारत, डॉ.एस.के. पाण्डेय
4. आधुनिक भारत, डॉ.एस.के. पाण्डेय।
5. सत्पथ ब्राह्मण
6. हिस्ट्री ऑफ हिन्दू धर्मशास्त्र, पी.वी. कॉणे।
7. श्रीमद्भगवद्गीता।
8. श्री रामचरितमानस।
9. विधि शास्त्र एवं विधिक सिद्धान्त, डॉ. विजय नारायण मणि त्रिपाठी।
10. भारत का संविधान, डॉ. जे.एन. पाण्डेय।
11. विधि शास्त्र के मूल सिद्धान्त, डॉ. अनिरुद्ध प्रसाद
12. Constitutional Law of India, M.P.k~ Jain
13. Indian Constitution, V.N.k~ Shukla

Newspapers:-

- Times of India
- The Hindu
- Hindustan Times
- Political Law Times
- Cronical
- Yojana

Websites:-

1. www.india.com
2. www.timesofindia.com
3. www.drishtiias.com

विजय सिंह एवं मृदुल शुक्ला
Received Date: 09.10.2023
Publication Date: 30.10.2023